समाचार पत्र

वट वृक्ष

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं), कोलकाता

जनवरी-मार्च, 2024

महानिदेशक की कलम से

प्रिय पाठक,

मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन पर 'वट वृक्ष' के चतुर्थ तिमाही के समाचार-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आवरण पृष्ठ पर 'कलकत्ता ट्राम' की तस्वीर है, जो कोलकाता के अनमोल ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है।

कोलकाता ट्राम का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो 24 फरवरी, 1873 से आरंभ होता है जब भारत की पहली घोड़ागाड़ी वाली ट्राम सेवा ने सियालदह और अर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच 2.4 मील की दूरी तय की थी। कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी की स्थापना दिसंबर 1880 में लंदन में हुई थी और इस मार्ग का सर्वप्रथम उद्घाटन वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। इन वर्षों में, ट्राम नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ, 1882 में वाष्प इंजन आया और 1902 में पहला इलेक्ट्रिक ट्रामकार चला। 1941 तक कोलकाता ट्राम ने 257 ट्रामों के साथ 42.0 मील की दूरी तयकर शहर की एक महत्वपूर्ण परिवहन व्यवस्था बन गई। हालांकि 1990 के बाद से कोलकाता ट्राम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप 8 किलोमीटर तक इन तीन मार्गो पर सेवाएँ सीमित हो गई। मैदान से होते हुए खिदिरपुर और एस्प्लेनेड के बीच स्थित ट्रैक के विरासत को संरक्षित करने का प्रयास जारी हैं।

इस तिमाही में संस्थान में तीन अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपालन लेखापरीक्षा, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा और जी.आई.एस. तकनीक से लेखापरीक्षा जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया।इन कार्यक्रमों के संचालन में एनआरएसी,इसरो ने भी अपना सहयोग दिया। इसके अलावा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षकों के लिए छह-सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण तथा नए भर्ती हुए प्रभागीय लेखाकारों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा, संस्थान में एमसीटीपी लेवल-2 और एमसीटीपी लेवल-3 का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, साथ ही संस्थान में वार्षिक क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक का भी आयोजन हुआ।

इस समाचार पत्र के माध्यम से हम अपने पाठकों को क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के प्रदर्शन और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने हेतु आपका सहयोग आवश्यक है। प्रशिक्षण सामग्री में सुधार/संशोधन हेतु हम आपके विचारों एवं सुझावों का स्वागत करते हैं।आप rtikolkata@cag.gov.in साइट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं।

अनादि मिश्र
महानिदेशक
क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं.,कोलकाता

विषयसूची	
विवरण (जनवरी 2024 से मार्च 2024)	**पृष्ठ संख्या**

(क)महत्वपूर्ण दिनों, बैठकों और पाठ्येतर गतिविधियों का अनुपालन	**4**
(i) शहीद दिवस, 2024	**4**
(ii) आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम	**5**
(iii) वार्षिक क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक	**7**
(iv) इन-हाउस हिन्दी कार्यशाला	**8**
(ख) प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	**9**
(i) स.ले.प.अ./पर्यवेक्षकों के लिए छह सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम	**9**
(ii) नवनियुक्त प्रभागीय लेखाकारों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण	**13**
(ग) मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	**15**
(i) एमसीटीपी-स्तर-3 का प्रशिक्षण	**16**
(ii) एमसीटीपी-स्तर-2 का प्रशिक्षण	**17**
(घ) ज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ	**19**
(i) अनुपालन लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	**19**
(ii) पीआरआई की वित्तीय लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	**21**
(iii) संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम)/केस स्टडीज की तैयारी	**24**
(ङ) सामान्य प्रशिक्षण	**24**
(i) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इन कार्यक्रमों के संचालन में एनआरएसी,इसरो ने भी अपना सहयोग दिया।	**24**
(ii) खानों की लेखापरीक्षा पर कार्यशाला	**26**
(च) सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण	**28**
(i) एमएस एक्सेल का एडवांस प्रशिक्षण	**28**
(ii) विज़ुअल बेसिक से एमएस एक्सेस	**29**
(iii) अन्य आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम	**31**
(छ) उपयोगकर्ता कार्यालयों की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और इन-हाउस प्रशिक्षण/बैठकों के संचालन के लिए उपयोगकर्ता कार्यालयों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान किए गए।	**31**
(ज) उपयोगकर्ता कार्यालयों तथा भा.ले.व.ले.वि. के बाह्य कार्यालयों को प्रशिक्षण दिया गया।	**32**
(झ) प्रश्नोत्तरी	**37**
(ञ) प्रश्नोत्तरी के उत्तर	**39**

(क) क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं,कोलकाता ने योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण दिनों, बैठकों और पाठ्येतर गतिविधियों का अनुपालन किया गया (जनवरी 2024 से मार्च, 2024)

(i) **क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता में 30 जनवरी 2024 को शहीद दिवस मनाया गया।**

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों ने शहीद दिवस का पालन किया।

भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया था। देशभर में उन भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह11 बजे दो मिनट का मौन रखा गया। ऐतिहासिक रूप से यह दिन काफी महत्वपूर्ण है, तथा बलिदान की भावना और आज़ादी के अथक संघर्ष का प्रतीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि इस दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है।

शहीद दिवस पर, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संस्थान परिसर में सुबह 11:00 बजे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा ।

(ii) आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम 21 फरवरी, 2024 को आयोजित किया गया।

जनवरी 2024 में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई, जहां पर "आपदा प्रबंधन" जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और उसके साथ ही एक मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद, 21 फरवरी, 2024 को, कोलकाता स्थित नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय की एक टीम ने क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान के कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम और मॉक ड्रिल का आयोजन किया।

सत्र के दौरान, टीम ने आपदा से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की और आपातकालीन परिस्थितियों जैसे आग की आपात स्थिति, प्राथमिक उपचार, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर), मोच, फ्रैक्चर और आपदा के दौरान आमतौर पर होने वाली अन्य चोटों से निपटने के लिए आवश्यक उपायों के बारें में बताया।

टीम द्वारा की गई विस्तृत व्याख्या और व्यावहारिक प्रदर्शनों से अधिकारियों को काफी लाभ हूआ।

यह पहल संस्थान के अधिकारियों की आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिससे हमारे संगठन में एक मजबूत आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण में मदद मिली।

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

कोलकाता स्थित नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय की टीम ने आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन(सीपीआर) पर प्रदर्शन और मॉक ड्रिल किया, उसके बाद अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर अग्नि नियंत्रण पर प्रशिक्षण दिया।

(iii) वार्षिक क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक 28 फरवरी 2024 को आयोजित की गई।

वार्षिक क्षेत्रीय सलाहकार समिति (आरएसी) की बैठक 28 फरवरी 2024 को क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता में आयोजित हुई, जहाँ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री सतीश कुमार गर्ग, प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा-I,पश्चिम बंगाल ने की।

चर्चा की शुरुआत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ हुई, जिसमें देश भर के 32 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारियों ने संकाय के रूप में उल्लेखनीय 99.6% उपयोगिता दर और सक्रिय भागीदारी को रेखांकित किया गया। बैठक में संस्थान के बुनियादी ढ़ाचे को बढ़ाने और इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मुख्य संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित किया गया। ऑनलाइन इम्पैक्ट मूल्यांकन पर अद्यतन जानकारी से अपूर्ण आकलनों के निपटान तथा पूर्णता दर में सुधार की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। आगे सीओटीपी 2024-25 में छह आगामी अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है तथा ओआईओएस और ई-ऑफिस विषयों पर सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त, आईटीबीए पाठ्यक्रम पर चर्चा में प्रभावी पाठ्यक्रम डिजाइन और आयकर विभाग से प्रासंगिक केस स्टडीज को शामिल करने के लिए डीजीए (केंद्रीय), कोलकाता के कार्यालय के साथ सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

बैठक का समापन अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

फरवरी, 2024 में आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री सतीश कुमार गर्ग, प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा-I, पश्चिम बंगाल और श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता, कोलकाता स्थित कार्यालयों के विभागाध्यक्षों के साथ।

(iv) 23 फरवरी 2024 को संस्थान में एक इनहाउस हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता में 23 फरवरी 2024 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें दो(02) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों और तीन(03) वरिष्ठ लेखा परीक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो,राजभाषा विभाग, कोलकाता केन्द्र से वरिष्ठ सलाहकार श्री नवीन कुमार प्रजापति को आमंत्रित किया गया था।

कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों ने राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार द्विभाषी पत्र जारी करने, हिंदी में पत्राचार करने, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने और राजभाषा से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

यह कार्यशाला कार्यक्षेत्र में प्रतिभागियों की हिंदी भाषा में दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

राजभाषा विभाग, कोलकाता के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से वरिष्ठ सलाहकार श्री नवीन कुमार प्रजापति और क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इनहाउस हिंदी कार्यशाला में भाग लिया।

(ख) प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (जनवरी से मार्च, 2024)

(i) **स.ले.प.अ/पर्यवेक्षकों के लिए 03 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक छह सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित किया गया।**

मुख्यालय ने मई 2023 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2019 बैच के सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सी.भ.स.ले.प.अ) के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया। विभागीय पदोन्नति प्राप्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए मौजूदा 'छह सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण' का नाम बदलकर अब इसे 'आरटीआई/आरटीसी में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/पर्यवेक्षकों के लिए छह सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण' नाम दिया गया है। परिपत्र के अनुसार, इस प्रशिक्षण में अब सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सी.भ.स.ले.प.अ), विभागीय पदोन्नति प्राप्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को एक साथ शामिल कर लिया जाएगा।

इस प्रशिक्षण में केवल उन्हीं सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को चरण-3 के प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाएगा जिन्होंने चरण-1 और चरण-2 का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। चरण-3 का प्रशिक्षण विशेष रूप से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले आरटीआई/आरटीसी द्वारा आयोजित किया जाएगा।

मुख्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान,कोलकाता ने जनवरी/फरवरी 2024 में उपयोगकर्ता कार्यालयों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में कुल 36 प्रतिभागियों को नामित किया गया था।

इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (सेवानिवृत्त) के महानिदेशक श्री गोबिंद भट्टाचार्य और क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता के महानिदेशक श्री अनादि मिश्र ने किया।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपयोगकर्ता कार्यालयों के प्रतिभागियों के व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न विषयों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया गया।इसमें विभाग के सम्पूर्ण परिचय, महत्वपूर्ण नियमों और विनियमों के साथ-साथ मौलिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और टिप्पण, आलेखन में कौशल को भी शामिल किया गया। प्रतिभागियों को ओआईओएस, ई-एचआरएमएस, ई-ऑफिस, आई.डी.ई.ए और टैबलो जैसे आईटी सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ-साथ आईटी लेखापरीक्षा तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में लेखापरीक्षित संगठनों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए व्यक्तित्व विकास और संचार कौशल पर भी ध्यान दिया गया। इसमें उत्साह, कर और कर कानून, एमएस-वर्ड की उन्नत विशेषताएं, हिंदी राजभाषा नीति और डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश सहित कई विषयों को शामिल किया गया। इसके अलावा, कंप्यूटर-सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक, पारदर्शिता, रचनात्मक समस्या-समाधान, वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण, बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, विभाग में व्यावसायिक विकास जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

पाठ्यक्रम में संगठनात्मक संरचना, स्थानीय निकायों की लेखा प्रणालियों और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के साथ-साथ विनियोग और वित्त खातों की तैयारी पर भी गहन अध्ययन किया गया। प्रतिभागियों ने आईटी सुरक्षा उपायों, एसक्यूएल को लेखापरीक्षा टूल के रूप में उपयोग करने तथा कॉर्पोरेट कानून और वाणिज्यिक कानूनों का अवलोकन प्राप्त किया। आरटीआई अधिनियम 2005 को समझने, परिवर्तन प्रबंधन सिद्धांतो, पर्यवेक्षी और पारस्परिक कौशल विकसित करने, मार्गदर्शन, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और वित्तीय लेखापरीक्षा आयोजित करने पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में स्वायत्त निकायों के लिए अनुपालन और प्रमाणन लेखापरीक्षा, Hive और HADOOP जैसे लेखापरीक्षा टूल का अनुप्रयोग, विवाद समाधान, बातचीत और निर्णय लेने के कौशल को शामिल किया गया। लोक प्रशासन में नैतिकता, सीएजी कार्यालय में आचार संहिता का पालन, निष्पादन लेखापरीक्षा, परिणाम लेखापरीक्षा पद्धतियां, पर्यावरण लेखापरीक्षा और अनुपालन आकलन पर भी चर्चा की गई।

प्रशिक्षण के दौरान, प्रतिभागियों ने सहयोग बढ़ाने, टीमवर्क जैसे विविध गतिविधियों में भाग लिया। प्रशिक्षण का दो सत्र समूह प्रस्तुतियों के लिए समर्पित था, जहां प्रतिभागी एकत्रित हुए और विभिन्न विषयों पर प्रस्तुती दिए। इसके अतिरिक्त, हमारे संस्थान और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल में मनोरंजक साधनों का प्रयोग करते हुए, दो सत्रों में टीम बनाने और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया।

सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए, विषय-आधारित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा, प्रतिभागियों को दिए गए आठ आवंटित सत्रों के दौरान चयनित विषयों पर व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ देने का अवसर मिला। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को समझने और याद रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए, संस्थान ने हर सप्ताह के अंत में मूल्यांकन परीक्षाएं आयोजित कीं।

इन गतिविधियों ने न केवल सीखने के अनुभव को समृद्ध किया बल्कि प्रतिभागियों के बीच टीमवर्क, रचनात्मकता और समग्र सहभागिता को भी बढ़ावा दिया।

प्रशिक्षण सत्रों का संचालन विभाग के और विभाग के बाहय विशेषज्ञ कर्मियों सहित विविध संकाय सदस्यों के एक पैनल द्वारा किया गया। उल्लेखनीय बाहय संकाय सदस्यों में श्री गोविंद भट्टाचार्य, भा.ले.व.ले.से. (सेवानिवृत्त), श्री अनिंद्य दासगुप्ता, प्रधान निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), हैदराबाद, श्री संजय कुमार, प्रधान निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय),लखनऊ, श्री पुष्कर कुमार, महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना, सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री पवन कुमार कोंडा, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री मोहम्मद सुहैल फजल,

उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पूर्व रेलवे), कोलकाता, श्री सुब्रमण्यम एन एन, निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता डा.ए.एस लिंगराज नाइक एस, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री अब्राहम जे सेफास ए, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), तमिलनाडु, चेन्नई, श्री विनोद परिहार, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री सतीश एम, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री मुकुल जमलोकी, उप निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध कारखाना), कोलकाता और सुश्री तान्या अंबष्ठ, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उड़ीसा, भुवनेश्वर।

इसके अलावा, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के विभिन्न कार्यालयों के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के संवर्ग के विशेषज्ञ संकाय सदस्यों ने प्रशिक्षण में योगदान दिया, जिनमें श्री विकास कुमार मोहंती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री प्रोसेनजीत सेन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), कोलकाता, श्री देवाशीष अय्यर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री हरि शंकर गुहा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री अभिरूप घोष, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता और श्री प्रशांत कुमार उजलायन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली शामिल हैं। इन विशेष सत्रों ने उस क्षेत्र के अनुभवी पेशेवरों के विविध दृष्टिकोणों और विशेष ज्ञान के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम को समृद्ध किया।

विभाग के बाहर से आए संकाय सदस्यों में श्री कृष्ण कांत गोयल, एफए एंड सीएओ (बी एंड बी), पूर्व रेलवे, श्री राज राजेश, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, सुश्री अनन्या दत्ता चौधरी, उप श्रम आयुक्त (पी), श्रम आयुक्तालय, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री गौतम दास गुप्ता (सेवानिवृत्त), सहायक निदेशक, एनएसीआईएन, कोलकाता, सुश्री तरनजीत कौर चौहान, मुख्य सशक्तिकरण कोच, आईसीबीआई, श्री देवर्षि भुवलका, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई और श्री हेमंत कुमार पाल, आईटी विशेषज्ञ शामिल थे।

प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उज्जल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुजय बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपक कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा

अधिकारी, श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पारिजात सैकिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे।

पाठ्यक्रम का समापन क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के महानिदेशक द्वारा किया गया और पाठ्यक्रम को 9.32 की रेटिंग प्राप्त हुई।

श्री गोविंद भट्टाचार्य, भा.ले.व.ले.से (सेवानिवृत्त) और श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता जनवरी-फरवरी 2024 के दौरान स.ले.प.अ./पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित छह सप्ताह के अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ

जनवरी-फरवरी 2024 के दौरान सांस्कृतिक/खेल गतिविधियों के दौरान स.ले.प.अ./पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित छह सप्ताह के अभिमुखी प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी

(ii) नवनियुक्त प्रभागीय लेखाकारों के लिए 11 से 23 मार्च, 2024 तक प्रारंभिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है

150 साल पहले 1855 में स्थापित प्रभागीय लेखाकार कैडर की शुरुआत लोक निर्माण खातों के प्रबंधन के लिए हुई थी। 1858 और 1889 में समितियों की सिफारिशों के आधार पर इसके कर्तव्यों और स्थिति को औपचारिक रूप दिया गया, 1889 में सरकारी प्रस्ताव द्वारा उप-मंडल अधिकारियों के साथ भूमिका को पंक्तिबद्ध किया गया। यह कैडर 1925 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के तहत आधिकारिक हो गया, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की देखरेख में राज्य सरकार के मंडल कार्यालयों के भीतर काम करता था, जिसने वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। विभागीय लेखाकारों को उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु उन्हें आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए, प्रेरण प्रशिक्षण में कई तरह के विषयों को शामिल किया गया। इसमें दोनों विभागों और उनके संचालन का परिचय, साथ ही उनकी सेवा को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों और विनियमों का अवलोकन शामिल था। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में प्रभागीय लेखाकारों की विशिष्ट भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी

नियम पुस्तिका और सीपीडब्ल्यूए कोड के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ 1872 के अनुबंध अधिनियम और 1996 के मध्यस्थता और समझौता अधिनियम जैसे प्रासंगिक कानूनों पर भी प्रकाश डाला गया। अन्य आवश्यक विषयों में विभागीय और सीवीसी नियम पुस्तिका, सीसीएस (आचरण) नियम, निविदा प्रक्रिया, आरए बिलों पर विभागीय प्रावधान और अनुबंधों के कर निहितार्थ शामिल हैं। इसके अलावा, प्रतिभागियों को पश्चिम बंगाल ट्रेजरी नियमों पर निर्देश प्राप्त हुए और एमएस-ऑफिस तथा ई-ऑफिस के मूल प्रयोग पर व्यावहारिक कौशल प्राप्त हुए। प्रशिक्षण में संचार, प्रेरणा और नैतिकता के विकास पर भी जोर दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभागीय लेखाकार अपनी भूमिकाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार हों। प्रशिक्षण का उद्घाटन क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के महानिदेशक द्वारा किया गया। उल्लेखनीय बाह्य संकाय सदस्यों में श्री सतीश एम., उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, श्री सुभ्रदीप भट्टाचार्य, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल, श्री प्रदीप कुमार सेनापति, वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी, राजमार्ग प्रभाग, पीडब्ल्यूडी, श्री विकास चंद्र चंदा, वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी, दक्षिणी मैकेनिकल प्रभाग, पीडब्ल्यूआरडी, श्री आलोक कुमार चक्रवर्ती, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, तमलुक प्रभाग, श्री कौशिक रे, वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, हुगली, श्री देवाशीष पहाड़ी, वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, बर्दवान, श्री प्रमोद कुमार बर्नवाल, प्रभागीय लेखा अधिकारी I, गंगा कटावरोधी प्रभाग, श्री तापस रॉय, प्रभागीय लेखा अधिकारी I, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल, श्री कौशिक मजूमदार, प्रभागीय लेखा अधिकारी I, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पश्चिम बंगाल से, श्री पिनाकी घोष, प्रभागीय लेखा अधिकारी I, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल, श्री अभिषेक विश्वास, प्रभागीय लेखा अधिकारी II, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल, श्री अरिंदम चौधरी, प्रभागीय लेखा अधिकारी II, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल, श्री तन्मय साहा, प्रभागीय लेखा अधिकारी II, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल, श्री रूपम चौधरी, प्रभागीय लेखा अधिकारी II, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल, श्री रुद्रनिल दास, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (ले. व. ह.), पश्चिम बंगाल और श्री तापस चंद्र दत्ता, प्रभागीय लेखाकार, पीडब्ल्यूआरडी, हुगली राजमार्ग डिवीजन -1.

इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपक कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पारिजात सैकिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे।

महानिदेशक के संबोधन के साथ पाठ्यक्रम का समापन हुआ और प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम को 9.21 की रेटिंग प्रदान की।

श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता, नवनियुक्त प्रभागीय लेखाकारों के लिए आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के साथ

(क) मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (जनवरी से मार्च, 2024)

विभाग में एक निश्चित अवधि तक सेवा प्रदान करने वाले वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2021 से शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे व्यवसायिक, निष्पक्ष और कुशल अधिकारी तैयार करना है जो विभाग की आवश्यकताओं के प्रति सजग हो। एमसीटीपी यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हो।

जनवरी से मार्च 2024 के दौरान, क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता में निम्नलिखित एमसीटीपी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

(i) एमसीटीपी स्तर-3 का प्रशिक्षण 17 जनवरी से 24 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया।

एमसीटीपी लेवल-3 का प्रशिक्षण विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन्होंने वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर न्यूनतम बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। जनवरी 2024 में, एमसीटीपी लेवल-3 का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

हाल ही में संपन्न एमसीटीपी -स्तर 3 प्रशिक्षण, जो 17 जनवरी से 24 जनवरी, 2024 तक क्षेक्षनिज्ञासं, कोलकाता में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रतिभागियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए तैयार किए गए विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल किया गया था। प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा संचालित, प्रशिक्षण की शुरुआत क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान,कोलकाता के महानिदेशक द्वारा हार्दिक अभिनंदन के साथ हुआ, जिसमें भूमिका परिवर्तन के प्रबंधन और पेशेवर आचरण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान, उपस्थित लोगों ने अपनी भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण विविध क्षेत्रों की खोज की, जिसमें स्वायत्त निकायों के लिए लेखापरीक्षा अभ्यास, आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ प्रभावी संचार रणनीतियाँ और आंतरिक नियंत्रण और धोखाधड़ी का पता लगाने की बारीकियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जीईएम विशेषताओं, समय और तनाव प्रबंधन और आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा की पेचीदगियों पर सत्रों ने प्रतिभागियों को दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक उपकरणों से लैस किया। कार्यक्रम में सार्वजनिक व्यय सिद्धांत, राजकोषीय जिम्मेदारी और हितधारक जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई, जिससे सरकारी वित्त के प्रबंधन और कानूनी मामलों को समझने में अंतर्दृष्टि मिली।

प्रशिक्षण में भारत सरकार की टकसाल की एक उल्लेखनीय अध्ययन यात्रा को शामिल किया गया, जिससे प्रतिभागियों को परिचालन वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। पर्यावरण शासन और ई-गवर्नेंस पर चर्चाओं में समकालीन मुद्दों और उनकी भूमिकाओं से संबंधित तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का समापन मॉक टेस्ट फीडबैक सत्र और महानिदेशक के अभिभाषण के साथ हुआ, जिससे सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिला और सीएजी समुदाय में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिला।

प्रशिक्षण के लिए संकाय सदस्यों में श्री अनादि मिश्र, प्रधान महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता और महानिदेशक,क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान , कोलकाता, श्री पवन कुमार कोंडा, वरिष्ठ उप

महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री ए.एस. लिंगराज नाइक एस, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री सुरेश कुमार एस, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), केरल, तिरुवनंतपुरम, सुश्री तरनजीत कौर चौहान, मुख्य सशक्तिकरण कोच, आईसीबीआई, श्री अरिजीत चक्रवर्ती, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सुश्री दीप्ति बग्गा, उप लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, श्री तूफान अधिकारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री स्वामी वेदतीतानंद, संवाददाता, रामकृष्ण मिशन, श्री अरिजीत घोष, फ्रीलांस और डॉ. चंद्रिमा सिन्हा, कार्यक्रम प्रबंधक, प्रकृति पर्यावरण और वन्यजीव सोसायटी।

इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उज्जल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे।

श्री अरिजीत चक्रवर्ती, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और श्री उज्जल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (संकाय), क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता एमसीटीपी लेवल-3 के प्रतिभागियों के साथ

(i) एमसीटीपी स्तर-2 का प्रशिक्षण 31 जनवरी से 07 फरवरी, 2024 तक आयोजित किया गया।

एमसीटीपी स्तर-2 का प्रशिक्षण 31 जनवरी से 07 फरवरी, 2024 तक विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर न्यूनतम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इस प्रशिक्षण में लेखापरीक्षा और कार्यालयी कार्यों के क्षेत्र में

सरकारी कर्मचारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विविध विषयों को शामिल किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता ने प्रतिभागियों के स्वागत के साथ आरंभ किया। प्रशिक्षण के दौरान संबोधित विषयों में बिग डाटा दृष्टिकोण, साइबर सुरक्षा, प्रभावी संचार रणनीति, समूह गतिशीलता, प्रेरणा सिद्धांत, वित्तीय बाजार, सार्वजनिक वित्त सिद्धांत, ई-ऑफिस प्रबंधन, जेंडर सेंसीटाईजेशन, पर्यावरण स्थिरता और सतर्कता तंत्र को अपनाना शामिल था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों को विभिन्न सहयोगी कार्यालयों से आमंत्रित गया था और इसमें विविध पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठित पेशेवर शामिल थे। इन विशेषज्ञों को उनके ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि प्रशिक्षण को और समृद्ध बनाया जा सके। बाह्य संकाय सदस्यों में श्री राजेश रंजन, प्रधान निदेशक, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा-वाणिज्यिक), बेंगलुरु, श्री राज राजेश, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता, सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता, श्री नंदा दुलाल दास, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र, जयपुर, श्री स्वामी वेदतीतानंद, संवाददाता, रामकृष्ण मिशन, श्री राजर्षि मुखर्जी, पूर्व सुविधाकर्ता, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, श्री विकास कुमार मोहंती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री अरिजीत घोष, फ्रीलांसर और सुश्री तरनजीत कौर चौहान, मुख्य सशक्तिकरण कोच, आईसीबीआई शामिल थे। इसके अतिरिक्त, इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री उज्जल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुशोभन चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे सभी प्रतिभागियों के लिए एक समग्र शिक्षण अनुभव सुनिश्चित हुआ।

प्रशिक्षण का समापन मॉक टेस्ट, फीडबैक सत्र और महानिदेशक के समापन संबोधन के साथ हुआ। इसे कुल मिलाकर 9.50 की शानदार रेटिंग प्राप्त हुई।

श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता और श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (संकाय), क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता एमसीटीपी लेवल-2 के प्रतिभागियों के साथ

(घ) ज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ (जनवरी से मार्च 2024)

(i) अनुपालन लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 04 से 06 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया।

अनुपालन लेखापरीक्षा में यह आकलन करना शामिल है कि लागू कानूनों, विनियमों और आदेशों के प्रावधानों का ठीक से अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। यह लेखापरीक्षा विचलन, अशक्ति को जानकर और औचित्य का आकलन करके जवाबदेही, सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का काम करता है। क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता जिसे पहले अनुपालन लेखापरीक्षा, पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा और रेलवे की लेखापरीक्षा के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में नामित किया गया था, इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बनाए रखना और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना है। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान कोलकाता ने मार्च 2024 के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई।

प्रशिक्षण का उद्घाटन क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान कोलकाता के महानिदेशक द्वारा किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत लेखापरीक्षा मानक 2017 पर चर्चा के साथ हुई, जो अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है। इसके बाद, कार्यक्रम के पहले दिन अनुपालन

लेखापरीक्षा के दिशानिर्देशों पर गहराई से चर्चा की गई।

दूसरे दिन से, प्रशिक्षण का केन्द्र सीएजी रिपोर्ट में छपे अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर आधारित केस स्टडी पर रहा। उल्लेखनीय केस स्टडी में विभिन्न लेखापरीक्षा जैसे कि वनस्पति उद्यान योजना को सहायता, क्षेत्रीय संपर्क योजना - उडान(UDAN) पर अनुपालन लेखापरीक्षा और मूल्य निर्धारण पर चर्चा शामिल थी। कार्यक्रम में महानिदेशक के समापन संबोधन से पहले, ओआईओएस परिवेश में अनुपालन लेखापरीक्षा को भी शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त, बाह्य प्रतिभागियों के लिए विक्टोरिया मेमोरियल, प्रिंसेप घाट और कालीघाट मंदिर की एक संक्षिप्त यात्रा का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बाह्य संकाय सदस्यों में एक प्रतिष्ठित पैनल को शामिल किया गया, जिसमें कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता से सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, श्री सतीश एम, उप महालेखाकार और श्री शिशिर कुमार श्रीवास्तव, उप महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता से श्री देवदास बनर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता से श्री तन्मय गोस्वामी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आधारिक संरचना),नई दिल्ली से वरुण त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री सुजय मुखर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे। अन्य योगदानकर्ताओं में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ से श्री अंशु कुमार यादव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ईसीओआर), भुवनेश्वर से श्री महेश्वर साहू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (ईएसडी),नई दिल्ली, शाखा: कोलकाता से सुश्री संगीता बरुआ, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, शामिल थे। प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने वाले श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी मुख्य इन-हाउस संकाय सदस्य थे। पाठ्यक्रम को सराहनीय 9.33 अंक प्राप्त हुए।

मार्च 2024 में आयोजित अनुपालन लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान उपस्थित श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता

(ii) पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 से 21 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया।

ज्ञान एवं क्षमता निर्माण विंग, जिसे पहले प्रशिक्षण प्रभाग के नाम से जाना जाता था, इसके द्वारा आयोजित वार्षिक अभ्यास में समूह क, ख और ग कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता वाले विषयों की पहचान करने के लिए सभी कार्यात्मक विंगों और मुख्यालयों से प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना शामिल था। इन विंगों से प्राप्त विषयों की समीक्षा करने के बाद, जिन्हें नियमित रूप से आरटीआई/आरटीसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में शामिल नहीं किया गया था, 24 मार्च, 2023 को आयोजित 47 वीं केंद्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी) की बैठक में उन पर विचार-विमर्श किया गया।

इसके बाद, इन विषयों को 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अनुरोध के साथ आरटीआई/आरटीसी, आईसीईडी जयपुर और कार्यात्मक विंग/मुख्यालयों (आईएस विंग, सीडीएमए और राजभाषा अनुभाग) को आवंटित कर दिया गया। इन आवंटनों में, क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता को एलबी विंग द्वारा जारी "पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश" पर प्रशिक्षण आयोजित करने का कार्य सौंपा गया था। मार्च 2024 में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा), द्वारा किया गया, जिन्होंने

प्रतिभागियों को पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय लेखापरीक्षा का अवलोकन और इसकी प्रासंगिकता विषय पर अवलोकन किया। इसके बाद, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी श्री अरिंदम बसु ने "वित्तीय लेखापरीक्षा की विशेषताएं" पर एक सत्र आयोजित किया, जिसमें कानून और विनियमों से संबंधित विचारों, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के चरणों को शामिल किया गया और प्रतिभागियों के साथ अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए गए।

श्री अमित कुमार मित्तल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा) ने सरकार और पंचायती राज संस्थान में लेखा प्रणाली पर सत्र आयोजित किए, जिसमें कानूनी ढांचे, सरकारी खातों के मूल सिद्धांतों/विशेषताओं और पी.एफ.एम.एस. के साथ पी.आर.आई.ए.सॉफ्ट/ई-ग्रामस्वराज के एकीकरण पर चर्चा शामिल थी। श्री ए.के. मित्तल की कार्यात्मक क्षेत्र की गहन समझ और अनुभव ने प्रशिक्षण को समृद्ध बनाया, जिससे प्रतिभागियों को एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ।

दूसरे दिन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक से वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस. गुरुमूर्ति ने वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए संचालन दिशानिर्देशों पर सत्रों का आयोजन किया और प्रतिभागियों के शिक्षण के अनुभव को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक अभ्यास पर बल दिए। तीसरे दिन लेखापरीक्षा कार्यपत्रों के प्रारूपों और जाँच प्रक्रियाओं पर चर्चा हुईं, जिनका नेतृत्व कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता से डॉ. ए.एस. लिंगराज नाईक एस, वरिष्ठ उप महालेखाकार और श्री विनय कुमार मेहता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ने किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन क्षेत्रिय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के महानिदेशक के समापन संबोधन के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान बाहरी प्रतिभागियों के लिए मदर्स वैक्स म्यूजियम की यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे प्रतिभागियों द्वारा खूब सराहा गया। पाठ्यक्रम को 9.64 की उल्लेखनीय रेटिंग प्राप्त हुई।

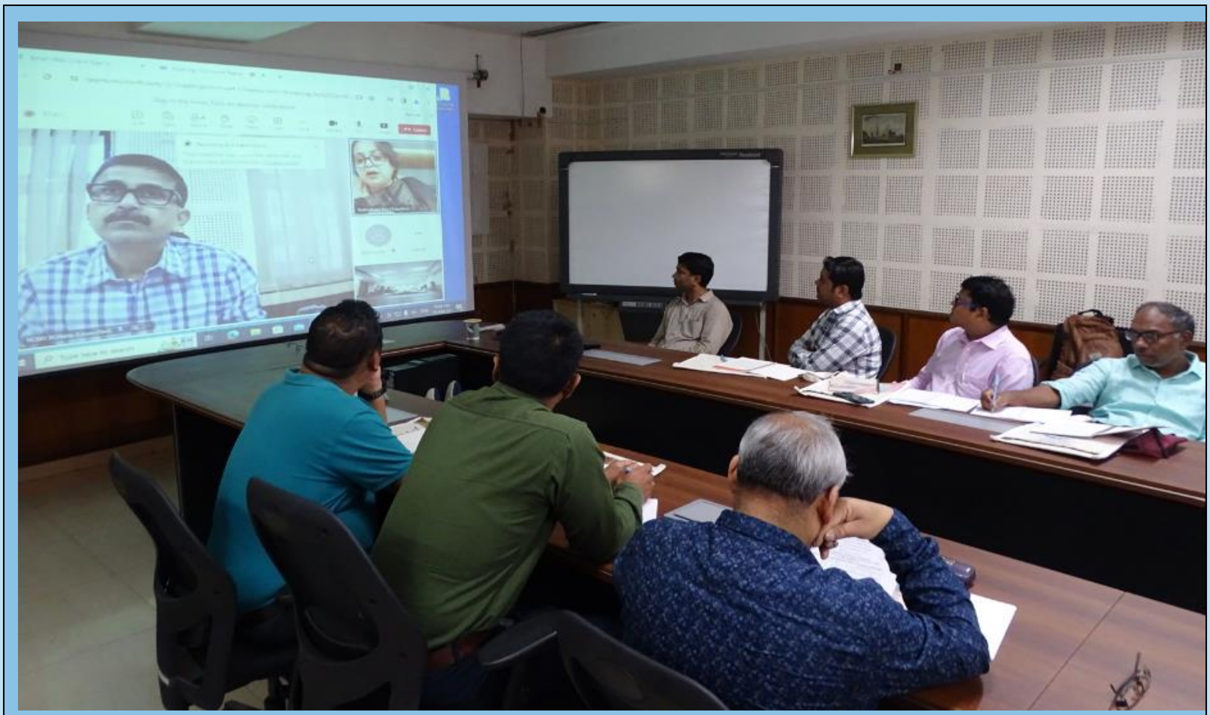

मार्च 2024 में आयोजित 'पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा' पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर सुश्री यशोधरा राय चौधरी, भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा) और श्री अनादि मिश्र, महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल से डॉ. ए एस लिंगराज नाइक एस, वरिष्ठ उप महालेखाकार और श्री विनय कुमार मेहता,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी उपस्थित थे।

(iii) *संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम)/केस स्टडीज़ की तैयारी*

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा एवं रेलवे) ने 26.10.2023 को एलजीए विंग से केएंडसीबी विंग को भेजे गए पीआरआई के वित्तीय लेखापरीक्षा पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम) को मंजूरी दी। इसके बाद, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता को केएंडसीबी विंग द्वारा, जैसा कि 29.02.2024 को सूचित किया गया था, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से संदर्भों की समीक्षा करने, संशोधित पीपीटी के आधार पर व्यापक प्रशिक्षण और प्रतिभागी नोट्स बनाने और सामग्री को दिन-वार सत्रों में व्यवस्थित करने का कार्य सौंपा गया था। यह कार्य वर्तमान में सक्रिय है।

इसके अतिरिक्त, प्राप्त सहकर्मी समीक्षा टिप्पणियों के आधार पर "सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन से संबंधित पीआरआई की लेखापरीक्षा" पर केस स्टडी में निरंतर संशोधन किए जा रहे हैं। इसी तरह, मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुरूप, 'पश्चिम बंगाल राजमार्ग विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीएचडीसीएल) द्वारा टोल शुल्क का संग्रह न करने के परिणामस्वरूप *2.56* करोड़ रुपये की राजस्व हानि' से संबंधित केस स्टडी को संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, "*73*वें संशोधन अधिनियम और इसकी पृष्ठभूमि" पर मानक शिक्षण मॉड्यूल (एसएलएम) में संशोधन किया गया है और इसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ङ) सामान्य प्रशिक्षण (जनवरी से मार्च, 2024)

(i) **एनएसआरसी, इसरो के सहयोग से जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से 19 से 23 फरवरी, 2024 तक लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।**

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसे स्थानिक डाटा और सूचना के संग्रह, रखरखाव, भंडारण, विश्लेषण, आउटपुट और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जीआईएस भौगोलिक और स्थानिक डाटा को संभालने की पूरी प्रक्रिया को शामिल करता है, जिसमें कैप्चर, स्टोरेज, रिट्रीवल, विश्लेषण, संशोधन और प्रदर्शन शामिल है। यह डाटा पृथ्वी की सतह पर स्थानिक स्थानों का विश्लेषण करता है और मानचित्रों और 3डी दृश्यों का उपयोग करके सूचनाओं की परतों को विज़ुअलाइज़ेशन में व्यवस्थित करता है। जीआईएस का प्राथमिक उद्देश्य आपदा प्रबंधन, भूमि उपयोग योजना, शहरीकरण, कृषि जैसे विभिन्न डोमेन में निर्णय लेने में सहायता करना है।

बदलते दौर में लेखापरीक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के प्रयास में, भौगोलिक सूचना

प्रणाली (जीआईएस) और सुदूर संवेदन लेखापरीक्षा तकनीकों के संग्रह में महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। अपनी विशिष्ट क्षमताओं के साथ, जीआईएस डाटा की गहन अंतर्दृष्टि प्रकट करता है - जैसे पैटर्न, संबंध और स्थितियां - जो निर्णय लेने में सहायता करता है। लेखापरीक्षा में जीआईएस और सुदूर संवेदन के प्रयोग से लेखापरीक्षा नियोजन और अन्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के लिए स्थानिक डाटा को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जा सकता है। यह तकनीक सामाजिक क्षेत्र, वन और पर्यावरण, जल निकायों और जल स्तरों, भूमि उपयोग योजना आदि के लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा में जीआईएस और सुदूर संवेदन तकनीकों का तेजी से उपयोग किया गया है और इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सुदूर संवेदन डाटा का प्रयोग करके लेखापरीक्षा में विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विशेषज्ञों या संस्थानों को बाहरी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आंतरिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो लेखापरीक्षा टीम विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में डाटा डिजिटलीकरण का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता ने लेखापरीक्षकों को उन्नत उपकरणों और विधियों से लैस करने के प्रयास शुरू किए हैं।

केंद्र की सुविधाओं और परिवेश का लाभ उठाने हेतु पहली बार क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (पूर्व), एनआरएससी, इसरो कोलकाता में जीआईएस प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन श्री सुपर्ण पाठक, उप महाप्रबंधक, आरआरएससी (पूर्व), एनआरएससी, इसरो, कोलकाता द्वारा किया गया। प्रतिभागियों में देशभर से सात समूह अधिकारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे। प्रशिक्षण में कई विषयों को शामिल किया गया, जिनमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उभरती चुनौतियां, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग (डीआईपी) और वर्गीकरण, रिमोट सेंसिंग की अवधारणाएं, भौगोलिक सूचना प्रणाली के मूल सिद्धांत, मानचित्र प्रक्षेपण और ज्यामितीय सुधार, ग्लोबल स्थिति सिस्टम (जीपीएस) के मूल सिद्धांत, 'कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के प्रशासन' (ऑनलाइन) पर लेखापरीक्षा कार्य के दौरान जीआईएस तकनीक का उपयोग, 'कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रशासन' पर मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के दौरान जीआईएस डाटा का उपयोग, वानिकी, शहरी अनुप्रयोग, तटीय प्रक्रियाएं: तटरेखा परिवर्तन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग कर कृषि और बागवानी अनुप्रयोग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का प्रयोग कर आपदा जोखिम मूल्यांकन, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और जल संसाधन प्रबंधन में इसके अनुप्रयोग, खनिज अन्वेषण, छवि व्याख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप के माध्यम से एसेट मानचित्रण, जीआईएस और भुवन एवं भू-निधि पर व्यावहारिक प्रशिक्षण।

विषयों को डॉ सुपर्ण पाठक, उप महाप्रबंधक, डॉ आरती पॉल, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, डॉ राजदीप रॉय, वैज्ञानिक-ई, डॉ नीरज प्रियदर्शी, वैज्ञानिक/इंजीनियर एसएफ, डॉ तनुमी कुमार, वैज्ञानिक/इंजीनियर एसएफ, सुश्री शर्मिष्ठा बी पांडे, वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एसई', डॉ साधना जैन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, डॉ सीएच वी चिरंजीवी जयराम, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, डॉ प्रबीर कुमार दास, वैज्ञानिक-एसएफ, श्री सागर सुभाषराव सालुंके, वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एसई', डॉ. अरिंदम गुहा, वैज्ञानिक जी, आरआरएससी-ई, एनआरएससी, इसरो, कोलकाता के संकाय सदस्य, डॉ. टी. वी. रामचंद्र, प्रोफेसर, आईआईएससी, बेंगलुरु और श्री हेमंत कुमार वी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II), कर्नाटक, बेंगलुरु।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने आरआरएससी-(पूर्व), एनआरएससी, इसरो के प्रदर्शनी हॉल का दौरा किया। पाठ्यक्रम का समापन महानिदेशक, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के संबोधन के साथ हुआ और इसे शानदार 9.38 की रेटिंग प्राप्त हुई।

फरवरी 2024 में आयोजित जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डॉ. सुपर्ण पाठक, उप महाप्रबंधक आरआरएससी-ई, एनआरएससी, इसरो, कोलकाता, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं कोलकाता के संकाय सदस्यों और प्रतिभागियों के साथ।

(ii) 11 से 13 मार्च 2024 तक आयोजित खानों की लेखापरीक्षा पर कार्यशाला

खानों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षकों के कौशल को बढ़ाने के लिए संस्थान ने 11 से 13 मार्च 2024 तक खानों की लेखापरीक्षा पर एक कार्यशाला आयोजन किया जिसमें कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता के प्रतिभागियों ने मुख्य रूप मे भाग लिया।

कार्यशाला के दौरान खनन उद्योग का परिचय, खनन के प्रकार, खनिजों और लघु खनिजों का वर्गीकरण, भारत में खनन के नियम, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का परिचय, खनन गतिविधियों में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का अनुप्रयोग, खनन क्षेत्र में लेखांकन, ओपन कास्ट और भूमिगत खदानों में खनन गतिविधियां, आवधिक खनन योजनाओं की तैयारी, अन्वेषण, उत्खनन, खनिजों के उपयोग, बिक्री (विशेषकर कोयला) से खनन तक, खनन क्षेत्र में अनुपालन लेखापरीक्षा, रॉयल्टी का भुगतान, खनन गतिविधियों की अर्थव्यवस्था और दक्षता जैसे विषयों को शामिल किया गया। कार्यशाला में बाहय विशेषज्ञ संकाय सदस्यों द्वारा तैयार किए गए केस स्टडीज़ को भी शामिल किया गया। प्रशिक्षण के लिए संकाय सदस्यों में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता से सुश्री अदिति शर्मा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, श्री सलिल कुमार नाग, उप महाप्रबंधक (खान), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, श्री नीलाब्जा रॉय, अधीक्षण भूविज्ञानी, खान और खनिज निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार, डॉ. आरती पॉल और डॉ. नीरज प्रियदर्शी, वैज्ञानिक/इंजीनियर एसएफ, आरआरएससी-ई, एनआरएससी, इसरो, कोलकाता, श्री ई. कार्तिकेयन, महाप्रबंधक (खनन), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता से श्री फाल्गुनी बंद्योपाध्याय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे।

पाठ्यक्रम का समापन फीडबैक सत्र और संबोधन के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम को 9.33 की उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की।

11 से 13 मार्च 2024 तक आयोजित खानों की लेखापरीक्षा पर कार्यशाला के दौरान डॉ. आरती पॉल, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ, आरआरएससी-ई, एनआरएससी, इसरो, कोलकाता

(च) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (जनवरी से मार्च, 2024)

(i) एमएस एक्सेल का एडवांस प्रशिक्षण 23 से 30 जनवरी 2024 और 04 से 08 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया:

एडवांस एमएस एक्सेल का प्रशिक्षण सीएजी के लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और कार्यालयी कार्य को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। VLOOKUP, INDEX-MATCH और PivotTables जैसे एडवांस एक्सेल कार्यों में निपुणता हासिल करके लेखापरीक्षक विस्तृत डाटासेट का कुशलतापूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं, पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह दक्षता लेखापरीक्षक को डाटा प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित करने, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने और गतिशील रिपोर्ट बनाने, लेखापरीक्षा सठीकता और प्रभावशीलता में सुधार लाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, एडवांस एक्सेल कौशल लेखापरीक्षक को जटिल वित्तीय विश्लेषणों को समझने, डाटा-संचालित लेखापरीक्षा और निष्कर्षों को स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं कोलकाता के महानिदेशक द्वारा आरंभ किए गए पांच दिवसीय पाठ्यक्रम की शुरुआत एमएस एक्सेल के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित परिचयात्मक सत्रों के साथ शुरू हुआ। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त की जैसे कि फ़ाइल और डाटा आयात करने, मूल और एडवांस फ़ार्मुलों और कार्यों (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX-MATCH, SUMIFS, COUNTIF, AVERAGEIF, CONCATENATE, TEXTJOIN, DGET, DSUM, DCOUNT, आदि सहित) का प्रयोग करके गणना करना, एक्सेल पिवट टेबल और पावर क्वेरी का प्रयोग करके डाटा विश्लेषण को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस (ईडीए) पर केस स्टडीज़ ने प्रतिभागियों को एक्सेल परिवेश में जटिल डाटासेट को प्रभावी ढंग से समझने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की।

इन पाठ्यक्रमों में श्री देवर्षि भुवलका, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रसिद्ध आईटी विशेषज्ञ श्री हेमंत कुमार पॉल और श्री अनिमेष देव रॉय जैसे बाह्य संकाय सदस्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त, हमारे इन-हाउस संकाय सदस्यों में श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, सुश्री पूनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी शामिल थे जिन्होंने प्रतिभागियों से अपनी विशेषज्ञता साझा की।

पाठ्यक्रम सत्रों में संदेह निवारण सत्र शामिल किया गया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रतिभागियों को अपने प्रश्नों को चिह्नित करने का अवसर मिले। कार्यक्रम का समापन फीडबैक सत्र और संबोधन के साथ हुआ।

पाठ्यक्रम को 9.35 की शानदार रेटिंग प्राप्त हुई

04 से 08 मार्च 2024 तक आयोजित एमएस एक्सेल एडवांस प्रशिक्षण में अपने सत्र के दौरान श्री अनिमेष देव रॉय, आईटी विशेषज्ञ

(ii) 19 से 23 फरवरी, 2024 तक विजुअल बेसिक से एमएस एक्सेस का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

एमएस एक्सेस व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा प्रबंधन उपकरण है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, रिपोर्टिंग, विश्लेषण और संदर्भ को सुगम बनाता है। विस्तृत डाटासेट के संचालन में सक्षम डाटा प्रबंधन और विश्लेषण को यह अनुमति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विज़ुअल बेसिक एक वस्तु-उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है जो टाइप-सेफ एप्लिकेशन बनाने में अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है। एमएस एक्सेस और विज़ुअल बेसिक पाठ्यक्रमों को मिलाकर, प्रतिभागी डाटा को संकलित करने और उसका विश्लेषण करने के साथ-साथ विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिभागियों को डाटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग कार्यों के लिए मूल्यवान कौशल से लैस करता है।

पाठ्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन के साथ हुई और प्रशिक्षण में एक्सेस डाटाबेस बनाने, रिकॉर्ड के साथ काम करने, टेबल्स में ओएलई ऑब्जेक्ट फ़ील्ड जोड़ने और अन्य प्रोग्राम के बीच डाटा आयात/निर्यात करने जैसे विषय शामिल थे। प्रतिभागियों ने टेबल्स को जोड़ने, विभिन्न प्रकार के जोड़ों और उनके संपादिन/हटाने के बारे में भी सीखा। प्रशिक्षण में कई टेबल क्वेरी, डाटा क्वेरी और क्वेरी में एसक्यूएल स्टेटमेंट का

प्रयोग करना शामिल था। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों ने टेबल क्वेरी का प्रयोग करके नई टेबल बनाने, मैक्रोज़ बनाने और उनका प्रयोग करने और एमएस एक्सेस में VB के एकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की।

सत्रों में विज़ुअल बेसिक (VB) प्रोग्रामिंग प्रस्तुत की गई, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल शामिल था। प्रतिभागियों ने सुरम्य फॉर्म और रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए VB का इस्तेमाल करके स्विच, बटन बनाना सीखा। प्रशिक्षण में फॉर्म विज़ार्ड से फॉर्म बनाने और उनका इस्तेमाल करने, डिज़ाइन दृश्य में फॉर्म डिजाइन करना शामिल था। VB स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा प्रवर्तन, रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ करना और ऑटो रिपोर्ट टूल का उपयोग करना भी शामिल था। प्रतिभागियों ने एक्सेस रिपोर्ट्स की आर्किटेक्चर, रिपोर्ट्स में ग्रुपिंग के काम करने, नियंत्रणों में हेरफेर और प्रति पेज एक ग्रुपिंग प्रदर्शित करने के लिए रिपोर्ट्स को संशोधित करने के बारे में सीखा। प्रशिक्षण का समापन विज़ुअल कनेक्टर का प्रयोग करके एक्सेस में तालिकाओं के बीच तालमेल बैठाने और VB के साथ एमएस एक्सेस में एक डमी प्रोजेक्ट बनाने के लिए विभिन्न तालिकाओं से डाटा क्वेरी करना शामिल था

प्रशिक्षण में बाह्य संकाय सदस्यों में श्री विकाश कुमार मोहांती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), भा.ले.व.ले.वि, श्री अनिमेष देव रॉय, आईटी विशेषज्ञ और श्री हेमंत कुमार पाल, आईटी विशेषज्ञ शामिल थे।

पाठ्यक्रम का समापन संबोधन के साथ हुआ और सभी संकाय सदस्यों को 9 से ज्यादा की रेटिंग प्राप्त हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिभागियों ने सभी सत्रों को अच्छे से समझा।

11 से 13 मार्च 2024 तक आयोजित विज़ुअल बेसिक से एमएस एक्सेस के प्रशिक्षण में अपने सत्र के दौरान श्री हेमंत कुमार पाल, आईटी विशेषज्ञ

(iii) तिमाही के दौरान अन्य आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसके अलावा, जनवरी से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता के आईएस विंग द्वारा निम्नलिखित आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए :

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम और समय	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संकाय सदस्यों का नाम		
		भा.ले.व.ले.वि. के अंतर्गत	भा.ले.व.ले.वि. के अतिरिक्त अन्य	इन-हाउस संकाय सदस्य
1	ओआईओएस चरण-I पर कार्यशाला (12 फरवरी से 13 फरवरी 2024)	लागू नहीं	लागू नहीं	श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
2	ओआईओएस चरण-II पर कार्यशाला (15 फरवरी से 16 फरवरी 2024)	लागू नहीं	लागू नहीं	श्री बिजन पॉल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
3	ओआईओएस चरण- III पर कार्यशाला (04 मार्च से 05 मार्च 2024)	लागू नहीं	लागू नहीं	श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
4	ओआईओएस चरण-IV पर कार्यशाला (06 मार्च से 07 मार्च 2024)	लागू नहीं	लागू नहीं	श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

छ. उपयोगकर्ता कार्यालयों की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इन-हाउस प्रशिक्षण/बैठकों के संचालन के लिए उपयोगकर्ता कार्यालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया।

क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञां.सं, कोलकाता में दो आईटी लैब और एक सम्मेलन कक्ष है। संस्थान उपयोगकर्ता कार्यालयों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता

करता है। जनवरी से मार्च 2024 की अवधि में, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं., कोलकाता की सहायता से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	उपयोगकर्ता कार्यालय का नाम
1	एएमजी II की तिमाही सम्मेलन बैठक	02 जनवरी 2024	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),पश्चिम बंगाल
2	वीएलसी पर प्रशिक्षण और अकाउंट्स बनाने और वीएलसी डाटा का प्रयोग करके लेखापरीक्षा और टेबल्यू पर प्रशिक्षण	26 फरवरी 2024	
3	ब्रिज निर्माण एवं अनुरक्षण पर कार्यशाला	18 से 19 मार्च 2024	
4	पश्चिम बंगाल में पेयजल आपूर्ति योजना की परियोजना और उसका कार्यान्वयन	21 से 23 मार्च 2024	
5	खान एवं खनिज क्षेत्र में नई नीतियों पर इन-हाउस प्रशिक्षण	28 मार्च 2024	

ज. उपयोगकर्ता कार्यालयों तथा भा.ले.व.ले.वि के बाह्य कार्यालयों को प्रशिक्षण दिया गया

किसी भी प्रशिक्षण संस्थान की उत्कृष्टता और गुणवत्ता का प्रदर्शन उनकी सबसे मूल्यवान संपदा संकाय सदस्य ही होते हैं। इसलिए प्रशिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त सहायता और अवसर प्रदान किए जाएं। जब संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, साथ ही जब उन्हें इस विभाग और अन्य विभागों के कार्यालयों में प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाता है, तो उनका संस्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। इसके अलावा, क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं, कोलकाता में ओआईओएस और ईएचआरएमएस के लिए कार्यात्मक हेल्पडेस्क के कार्मिक अक्सर सहयोगी कार्यालयों में सहायता और संदेह निवारण सत्रों के लिए जाते है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.सं/क्षे.क्ष.नि.व.ज्ञा.के. और सहयोगी कार्यालयों को संकाय सहायता प्रदान करता है।

इस दिशा में, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता के संकाय सदस्यों को विभिन्न कार्यालयों में प्रशिक्षण सत्र हेतु भी भेजा गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की तिथि	सत्रों की संख्या	जिस कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया	संकाय का नाम
1	सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए ओआईओएस का प्रशिक्षण	09 से 11 जनवरी 2024	12	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (दक्षिण पूर्व रेलवे), कोलकाता	श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
2	ओआईओएस में लेखापरीक्षित इकाई का क्लस्टर स्थानांतरण	16 जनवरी 2024	2	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),पश्चिम बंगाल,कोलकाता	श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
3	सीसीएस (आचरण) नियम (भाग III)	24 जनवरी 2024	1	कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह),पश्चिम बंगाल, कोलकाता	श्री दीपक कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
4	सीसीएस (आचरण) नियम (भाग IV)	24 जनवरी 2024	1		
5	जेंडर सेंसीटाईजेशन	25 जनवरी 2024	1		श्री उज्ज्वल बोस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
6	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर केस स्टडी	25 जनवरी 2024	1		सुश्री पारिजात सैकिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7	पुनरीक्षण, रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई पर ऑनलाइन ओआईओएस प्रशिक्षण	31 जनवरी 2024	4	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) (शाखा: गुवाहाटी)	श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

8	ओआईओएस पर संदेह निवारण सत्र	01 फरवरी 2024	4	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),पश्चिम बंगाल,कोलकाता	श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
9	पीए, पुनरीक्षण पर ओआईओएस प्रशिक्षण	02 फरवरी 2024	4	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान),कोलकाता	श्री बिजन पॉल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
10	ई-एचआरएमएस (ऑनलाइन)	09 फरवरी 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पूर्व रेलवे), कोलकाता	श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
11	ई-एचआरएमएस का परिचय [ऑनलाइन]	13 फरवरी 2024	2	क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, चेन्नई	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
12	ई-एचआरएमएस का परिचय [ऑनलाइन]	19 फरवरी 2024	2	क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, चेन्नई	श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
13	ई-एचआरएमएस	20 फरवरी 2024	4	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),पश्चिम बंगाल,कोलकाता	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
14	ई-एचआरएमएस (ऑनलाइन)	20 फरवरी 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), शाखा कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर, एएनआई	श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
15	ई-एचआरएमएस (ऑनलाइन)	21 फरवरी 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एवं	सुश्री पुनम मालपानी,

				जल संसाधन), शाखा कोलकाता	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
16	ई-एचआरएमएस	22 फरवरी 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (दक्षिण पूर्व रेलवे), कोलकाता	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
17	ई-एचआरएमएस	23 फरवरी 2024	4	कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह),पश्चिम बंगाल,कोलकाता	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
18	यूएलबी/एलएडी के आरएओ/केएमसी के लिए ओआईओएस सत्र	23 फरवरी 2024	4	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),पश्चिम बंगाल,कोलकाता	श्री चंदन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
19	ई-एचआरएमएस	26 फरवरी 2024	4	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार), नई दिल्ली, शाखा कोलकाता एवं कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आरपीयू एवं एमआर), कोलकाता और महानिदेशक लेखापरीक्षा (आरपीयू एवं एमआर), शाखा मेट्रो रेलवे, कोलकाता	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
20	ई-एचआरएमएस (ऑनलाइन)	26 फरवरी 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध निर्माणी), कोलकाता	श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

21	ई-एचआरएमएस (ऑनलाइन)	27 फरवरी 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता	श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
22	ई-एचआरएमएस (ऑनलाइन)	28 फरवरी 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), शाखा कोलकाता	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
23	ई-एचआरएमएस	07 मार्च 2024	4	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
24	ई-एचआरएमएस	14 मार्च 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आरपीयू एवं एमआर), कोलकाता, बर्दवान शाखा	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
25	ई-एचआरएमएस	15 मार्च 2024	4	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),पश्चिम बंगाल,कोलकाता	सुश्री पुनम मालपानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
26	ई-एचआरएमएस (ऑनलाइन)	21 मार्च 2024	2	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, कोयला, कोलकाता	श्री सनी पासी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

I. प्रश्नोत्तरी और स्मृति परीक्षण

1. कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी की स्थापना और पंजीकरण दिसंबर 1880 के दौरान __________ में हुआ था।

क. बम्बई

ख. कलकत्ता

ग. न्यूयॉर्क

घ. लंदन

2. भारत में प्रत्येक वर्ष _________ को शहीद दिवस मनाया जाता है, ताकि देश की स्वतंत्रता और कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके।

क. 30 मार्च

ख. 30 जनवरी

ग. 29 जनवरी

घ. 29 मार्च

3. भारत संघ की राजभाषा क्या है और संविधान के किस भाग में राजभाषा के संबंध में प्रावधान हैं?

क. देवनागरी लिपि में हिंदी, भाग XVII

ख. देवनागरी लिपि में हिंदी, भाग-VIII

ग. स्थानीय भाषा और लिपि, भाग-XVII

घ. ऐसी कोई भाषा नहीं बताई गई

4. वयस्कों में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) के लिए अनुशंसित संपीड़न-से-श्वास अनुपात क्या है?

क. 5 संपीड़न से 1 श्वास

ख. 15 संपीड़न से 2 श्वास

ग. 30 संपीड़न से 2 श्वास

घ. 30 संपीड़न से 5 श्वास

5. अग्नि त्रिकोण के तीन तत्व _______, ______ और ______ हैं, जिनमें से किसी भी तीन तत्वों को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी।

क. पानी,ऊष्मा स्रोत और ईंधन

ख. ऑक्सीजन, पानी और ईंधन

ग. ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा स्रोत

घ. ईंधन, ऑक्सीजन और कार्बन-डाइऑक्साइड

6. भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के लिए आवश्यक प्राथमिक घटक क्या है?

क. ग्राफिकल प्रतिनिधित्व

ख. सूचना डाटाबेस

ग. सॉफ्टवेयर

घ. सैटेलाइट

7. जीआईएस के किस चरण में रीफॉर्मेटिंग, टेबुलेशन, रिपोर्ट जनरेशन और मैपिंग जैसे कार्य शामिल हैं?

क. पोस्ट प्रोसेसिंग

ख. प्री प्रोसेसिंग

ग. विश्लेषण

घ. कैप्चरिंग

8. लोक लेखा समिति (पीएसी) एक संसदीय स्थायी समिति है जिसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था?

क. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत

ख. सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 के तहत

ग. आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत

घ. उपरोक्त में से कोई नहीं

9. पंचायती राज संस्थाएँ सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा/धाराओं ________________ के अंतर्गत लेखापरीक्षा के दायरे में आती हैं

क. धारा 14, 15, 19(3) और/या 20

ख. धारा 13, 14 और/या 20

ग. धारा 14, 15 और/या 23

घ. संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार

10.सप्ताहांत और निर्दिष्ट छुट्टियों को छोड़कर, दो तिथियों के बीच पूरे कार्यदिवसों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस एक्सेल फ़ंक्शन का प्रयोग किया जाता है?

क) NETWORKDAYS.INTL

ख) WORKDAY

ग) BUSINESSDAYS

घ) WEEKDA

11. विज़ुअल बेसिक (भीबी) से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, जब कोई उपयोगकर्ता किसी फ़ॉर्म से किसी नए रिकॉर्ड पर जाता है, तो कौन सी घटना घटित होती है?

क) Form Open

ख) Form_Current

ग) Form_Load

घ) Form_After Updated.

12. किसने कहा कि सीएजी भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा?

क. के.एम. मुंशी

ख. जवाहरलाल नेहरू

ग. महात्मा गांधी

घ. बी.आर. अंबेडकर

ञ. प्रश्नोत्तरी के उत्तर

1. (घ)

2. (ख)

3. (क)

4. (ग)

5. (ग)

6. (ख)

7. (क)

8. (क)

9. (क)

10.(क)

11.(ख)

12. (घ)

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, कोलकाता

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

तीसरा एमएसओ बिल्डिंग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 5वीं मंजिल (ए विंग), डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक, सेक्टर - I, कोलकाता - 700064

दूरभाष नंबर: (033) 23213907/6708

ईमेल: rtikolkata@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest